

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
एस.बी. कंपनी अपील संख्या 1/2015

1. सौरभ एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय:- प्लॉट संख्या 20, 21 और 22, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301001, राजस्थान, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा
2. बाबू लाल डाटा (एचयूएफ), प्लॉट नंबर 20, 21 और 22, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301001, राजस्थान, अपने कर्ता के माध्यम से।
3. अजय डाटा, डी-47, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर 302021
4. दीपक डाटा, डी-47, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर 302021
5. बाबू लाल दाता, प्लॉट नंबर 20, 21 और 22, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर-301001, राजस्थान

----अपीलकर्ता

बनाम

1. विजय सॉलवेक्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-301001 (राज.), इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से।
 2. दीपक वेगप्रो प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- पुराना औद्योगिक क्षेत्र, इटाराणा रोड, अलवर-301001, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से।
 3. इंडो कैप्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- पुराना औद्योगिक क्षेत्र, इटाराणा रोड, अलवर-301001 इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से
 4. प्यारेलाल गंगादीन (एचयूएफ), भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-301001 अपने कर्ता के माध्यम से.
 5. निरंजन लाल डाटा (एचयूएफ), भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-301001 अपने कर्ता के माध्यम से.
 6. निरंजन लाल दाता, भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-301001
- 6/1- दया किशन दाता पुत्र स्वर्गीय श्री निरंजन लाल दाता, भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-302001 (राज.)
- 6/2-श्रीमती निर्मला डाटा पत्नी स्वर्गीय श्री निरंजन लाल डाटा, भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-301001 (राज.)
- 6/3- श्रीमती पुष्पा पुत्री स्वर्गीय श्री निरंजन लाल डाटा पत्नी स्वर्गीय श्री जयप्रकाश, महावर एम्पोरियम, 27, नया बाजार, कमला नगर, दिल्ली।
- 6/4- श्रीमती शशि गुप्ता पुत्री स्वर्गीय श्री निरंजन लाल डाटा पत्नी श्री रमेश गुप्ता, ए-99, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, अलवर।
- 6/5- श्रीमती उमा गुप्ता पुत्री स्वर्गीय श्री निरंजन लाल डाटा पत्नी श्री विनोद गुप्ता, कृष्णा रोलिंग मिल्स, झोटवाड़ा, जयपुर।

- 6/6- श्रीमती सुषमा पुत्री स्वर्गीय श्री निरंजन लाल डाटा पत्नी श्री तेजाराम,
राजस्थान ट्रेडर्स, वाई-175, लोहा मंडी, नारायणा, नई दिल्ली।
7. रमेश चंद गुप्ता, भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-301001
8. सौरभ दाता, भगवती सदन, स्वामी दयानंद मार्ग, अलवर-301001
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, पुराने बस स्टैंड के पास, अलवर- 301001 (राज.)

----उत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं)के लिए : श्री हर्षित ठोलिया वरिष्ठ अधिवक्ता।
श्री अनुरूप सिंघी
श्री राहुल खंडेलवाल
श्री आदित्य विजयवर्गीय

उत्तरदाता(ओं)के लिए : श्री नरेंद्र मोहन शर्मा वरिष्ठ अभिभाषक
श्री अमोल व्यास
श्री उत्कर्ष शर्मा
श्री सौमिल शर्मा

माननीय श्री. जस्टिस समीर जैन
निर्णय

रिपोर्टयोग्य

आरक्षित तिथि : 21/09/2024

घोषित तिथि : 18/10/2024

1. तत्काल अपील निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ की जाती है:

“अतः, अत्यंत विनम्रता एवं आदरपूर्वक प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित की कृपा करे:

क. वर्तमान अपील स्वीकार करें तथा कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली से सी.पी. संख्या 23/111/2010 एवं सी.ए. संख्या 167/13 का अभिलेख मंगवाएँ।

ख. कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली द्वारा सी.ए. संख्या 167/2013 में सी.पी. संख्या 23/111/2010 में पारित दिनांक 22/10/2014 के आदेश को रद्द किया जाए।

ग. विद्वान कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर सी.ए. संख्या 167/2013 को अनुमति दी जाए।

घ. वर्तमान अपील की सुनवाई और निपटान लंबित रहने तक, कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के समक्ष लंबित विषय कंपनी याचिका सीपी संख्या 23/111/2010 में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।

ई. उपरोक्त प्रार्थना (डी) के संदर्भ में अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित करें;

च. ऐसे अन्य या आगे के आदेश पारित करें जिन्हें यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।”

2. सुविधा के लिए पक्षों द्वारा अपनाए गए प्रावधानों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

कानून का प्रविधान	शीर्ष टिप्पणी	अधिनियम
धारा 2(29)	परिभाषा – ‘न्यायालय’	कंपनी अधिनियम, 2013
धारा 435 से 446	(अध्याय XXVIII) विशेष न्यायालय	कंपनी अधिनियम, 2013
धारा 408	राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की स्थापना	कंपनी अधिनियम, 2013
धारा 43, 56, 58, 59, 430	(अध्याय IV) शेयर पूंजी और डिविडेंड	कंपनी अधिनियम, 2013
धारा 10 एफ बी	राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन	कंपनी अधिनियम, 1956
धारा 10 ई	कंपनी कानून प्रशासन बोर्ड का गठन	कंपनी अधिनियम, 1956
धारा 10 एफ	कंपनी विधि बोर्ड के कंपनी लॉ बोर्ड के आदेशों के खिलाफ अपील	कंपनी अधिनियम, 1956
धारा 10 जी बी	सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होना	कंपनी अधिनियम, 1956
धारा 108	हस्तान्तरित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अलावा हस्तान्तरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा।	कंपनी अधिनियम, 1956
धारा 111	पंजीकरण से इंकार करने और इंकार के विरुद्ध अपील करने की शक्ति	कंपनी अधिनियम, 1956
धारा 111(ए)	स्थानांतरण पर रजिस्टर में सुधार	कंपनी अधिनियम, 1956
धारा 26	जब उपकरण को सुधारा जा सकता है।	विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963
धारा 31	कब रद्दीकरण का आदेश दिया जा सकता है।	विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963
आदेश VII नियम 11	वादपत्र की अस्वीकृति	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
नियम 44	पीठ की अंतर्निहित शक्ति का	कंपनी कानून बोर्ड विनियम,

	संरक्षण	1991
--	---------	------

3. वर्तमान अपील कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10 एफ के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सी.ए. संख्या 167/2013, सी.पी. संख्या 23/111/2010 में पारित दिनांक 22.10.2014 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत कंपनी लॉ बोर्ड विनियम, 1991 के नियम 44 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन, जिसमें कंपनी की याचिका को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज करने का अनुरोध किया गया था, खारिज किया जाता है।

अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुतियाँ

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादियों ने कंपनी अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 1956 का अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 111(4) के तहत कंपनी याचिका (संख्या 23/111/2010) पेश की है, जिसमें अपीलकर्ता संख्या 1 कंपनी के शेयर रजिस्टर में सुधार के संबंध में अपीलकर्ता संख्या 2-5 के नाम हटाने और अपीलकर्ताओं के स्थान पर उनके नाम बहाल करने की मांग की गई है।

5. यह भी तर्क दिया गया कि नामों को हटाने का अनुरोध मुख्यतः पक्षों के बीच चल रहे निजी विवाद के कारण किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1- कंपनी 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता और गैर-अपीलकर्ता शेयरधारक/सदस्य रहे हैं। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता ने 1956 के अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत शेयर हस्तांतरण विलेख दायर किया।

6. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि इसमें लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर, साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाना था, और कंपनी लॉ बोर्ड (जिसे आगे सीएलबी कहा जाएगा) अपने समक्ष प्रस्तुत मामले पर विचार करने में अक्षम है और सी.पी.सी. की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार, इस पर सिविल कोर्ट द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, तथ्यों के कई अन्य विवादित प्रश्न भी हैं, जो स्वयं सिविल प्रकृति के हैं। इसलिए, उक्त कंपनी याचिका, जिसके लिए विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर एक गहन न्यायिक परीक्षण की आवश्यकता है, कंपनी कोर्ट, अर्थात् सीएलबी/एनसीएलटी के संक्षिप्त क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर है।

7. इस मोड़ पर, विद्वान वकील ने न्यायालय का ध्यान दिनांक 22.10.2014 के विवादित निर्णय की विषय-वस्तु की ओर आकर्षित किया था, और प्रस्तुत किया था कि सीएलबी ने उक्त विवाद पर निर्णय देते समय स्वयं यह राय व्यक्त की थी और स्पष्ट रूप से कहा था कि "साक्ष्यों के आधार पर एक संपूर्ण न्यायिक जांच आवश्यक है", जिसे संक्षिप्त सुनवाई में निर्णय नहीं दिया जा सकता है, फिर भी, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों की अनदेखी करते हुए और स्वयं द्वारा की गई टिप्पणी की उपेक्षा करते हुए, सीएलबी ने दिनांक 22.10.2014 के अपने निर्णय के माध्यम से अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया।

8. विद्वान वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में **(2023) 4 एससीसी 209** में उल्लिखित अनुपात पर भरोसा जताया है, जिसका शीर्षक **आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एसआईसीजीआईएल इंडिया लिमिटेड और अन्य है। और कंपनी अपील (एटी) (सीएच) संख्या 95/2023** जिसका शीर्षक **गिरीश कुमार सांघी बनाम सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और 19 अन्य है।**

9. उपर्युक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि कानून के अनुसार, सीएलबी संक्षिप्त मामले में सुनवाई कर सकता है, हालाँकि, इस विवाद के संबंध में, तथ्यों के प्रश्न, उदाहरण के लिए, धोखाधड़ी, मिथ्याबयान आदि के आरोपों पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि उक्त मुद्दों पर केवल साक्ष्य की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही विचार किया जा सकता है, इसलिए, सीएलबी द्वारा उन पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। साथ ही, तथ्य और कानून के उपरोक्त मुद्दों के साथ-साथ, निर्णय के लिए आवश्यक बिंदु कंपनी के संपूर्ण अधिकारों, शेयरों और हितों से भी संबंधित हैं। इसलिए, इस मामले का निर्णय एक सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

10. अंत में, अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायालय को सी.पी.सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था और मामले को स्वयं निर्णय के लिए नहीं लेना चाहिए था। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश में स्पष्ट त्रुटि है और उक्त याचिका विद्वान सीएलबी/एनसीएलटी के समक्ष निर्णय योग्य नहीं थी।

प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

11. इसके विपरीत, प्रतिवादियों/गैर-अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रिक्त हस्तांतरण विलेखों का, अपीलकर्ता संख्या 2-5 द्वारा, कथित शेयरों के हस्तांतरण के लिए दुरुपयोग किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं ने वर्ष 2007 में,

प्रतिवादियों की जानकारी के बिना, मूल शेयर प्रमाणपत्रों और रिक्त हस्ताक्षरित हस्तांतरण विलेखों सहित कुछ कागजात ले लिए थे।

12. इसके अलावा, अपीलकर्ता संख्या 2-5 ने धोखाधड़ी की है और आरोपित शेयरों के हस्तांतरण को उचित ठहराने के लिए दस्तावेजों/रिकॉर्डों में हेराफेरी की है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि कंपनी याचिका वर्ष 2010 में सीएलबी के समक्ष दायर की गई थी, जिसका उत्तर (गुण-दोष के आधार पर) अपीलकर्ताओं द्वारा जनवरी, 2011 में दायर किया गया था। इसी प्रकार, सीएलबी द्वारा 22.07.2013 को रिकॉर्ड मंगवाए गए और उसके बाद, एक विलंबित चरण में, अपीलकर्ताओं ने उक्त कंपनी याचिका की स्थिरता पर आपत्ति उठाई और 26.08.2013 को आवेदन संख्या 167/2013 के माध्यम से उक्त याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

13. विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस मामले में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब विद्वान सी.एल.बी. ने मूल अभिलेख मंगाए, विवादित आदेश पारित किया और अपीलकर्ताओं के कंपनी आवेदन (167/2013) का निपटारा किया गया, तथा इसके बाद सी.एल.बी. के समक्ष क्षेत्राधिकार और पोषणीयता के मुद्दे को खारिज कर दिया गया।

14. यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा दस्तावेजों की जालसाजी, मनगढ़ंत कहानी और हेराफेरी के संबंध में उठाया गया तर्क बाद में दिया गया था, न कि विद्वान सीएलबी के समक्ष उठाई गई/की गई आपत्ति/आवेदन में। गैर-अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्ष 2013 में, पुराने कंपनी अधिनियम, 1956 को निरस्त करते हुए, नया कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे आगे 2013 का अधिनियम कहा जाएगा) लागू किया गया है। अतः, 2013 का अधिनियम लागू रहेगा। इस अवसर पर, विद्वान अधिवक्ता ने 2013 के अधिनियम की धारा 424, 429, 430 और 434 में निहित प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि ये प्रावधान स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि 2013 के अधिनियम के लागू होने के बाद, न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी को अपने समक्ष मामलों का निर्णय करते समय सिविल न्यायालयों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए/होंगे। इसलिए, न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन सभी कार्यवाहियों को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा।

15. तत्पश्चात, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान 2013 के अधिनियम की धारा 434(1)(सी) की विषय-वस्तु की ओर आकर्षित किया था और प्रस्तुत किया था कि अधिनियम के उद्देश्य और उसमें व्याख्या किए

गए प्रावधानों के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1956 के अधिनियम के तहत सभी कार्यवाहियां, जिनमें मध्यस्थता, समझौता, व्यवस्था और कंपनियों के पुनर्निर्माण और समापन से संबंधित कार्यवाहियां शामिल हैं, जो ऐसी तारीख से तुरंत पहले किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित थीं, न्यायाधिकरण को हस्तांतरित हो जाएंगी और न्यायाधिकरण उनके हस्तांतरण से पहले के चरण से ऐसी कार्यवाहियों से निपटने के लिए आगे बढ़ सकता है।

16. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए शशि प्रकाश खेमका एवं अन्य बनाम एनईपीसी माइकॉन एवं अन्य (2019) 18 एससीसी 569 में प्रतिपादित उक्ति का सहारा लिया और तर्क दिया कि 2013 के अधिनियम की धारा 430 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी ऐसे वाद या कार्यवाही को संबोधित करने/सुनने का अधिकार नहीं होगा जिसके लिए न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का हकदार है। उपर्युक्त प्रावधान से प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“430. सिविल न्यायालय को अधिकारिता न होना।

.....(ग) किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही स्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा जिसे न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण को इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित करने का अधिकार है। और किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।”

अवलोकन

17. अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित असंदिग्ध तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:-

17.1 यह कि वर्तमान अपील कंपनी लॉ बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सी.ए. संख्या 167/2013 में सी.पी. संख्या 23/111/2010 में पारित दिनांक 22.10.2014 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कंपनी लॉ बोर्ड विनियम, 1991 के नियम 44 के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन, जिसमें कंपनी की याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की प्रार्थना की गई थी (धारणीयता और क्षेत्राधिकार की आपत्ति पर विचार करते हुए), खारिज कर दिया गया है।

17.2 यहाँ न्यायनिर्णयन हेतु मुद्दा यह है कि प्रतिवादियों ने वर्ष 2010 में सीएलबी के समक्ष 1956 के अधिनियम की धारा 111(4) (परी मटेरिया प्रावधान - 2013 के अधिनियम की धारा 59) के अंतर्गत अपीलकर्ता संख्या 1-कंपनी के शेयर रजिस्टर में सुधार हेतु एक कंपनी याचिका दायर की थी। तदनुसार, उक्त याचिका विचारणीय है या अन्यथा।

18. उपर्युक्त चर्चाओं और निष्कर्षों पर विचार करते हुए; दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय नीचे दिए गए कारणों से इस याचिका को खारिज करना उचित समझता है:

18.1 कंपनी याचिका वर्ष 2010 में विद्वान सीएलबी के समक्ष दायर की गई थी, जिस पर बिना किसी आपत्ति के, अपीलकर्ताओं द्वारा जनवरी 2011 में (गुण-दोष के आधार पर) उत्तर प्रस्तुत किया गया था, और विद्वान सीएलबी ने 22.07.2013 के आदेश द्वारा मूल अभिलेख मंगवाया था। इसके बाद, कुछ स्थगनों की मांग करने के बाद, विलम्ब से 26.08.2013 को, अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान याचिका की स्वीकार्यता और उक्त मामले के विद्वान सीएलबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के आधार पर आपत्ति के संबंध में एक आवेदन दायर किया गया। उक्त आवेदन में गैर-अपीलकर्ताओं द्वारा जालसाजी और मनगढ़ंत बातें कहने के आरोप भी शामिल हैं।

18.2 समय आने पर, विद्वान सी.एल.बी. ने 22.07.2013 को मूल अभिलेख/दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया था, जिस पर अपीलकर्ताओं ने निर्धारित समय के भीतर कोई आपत्ति नहीं की।

18.3 यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 22.10.2014 का विवादित निर्णय स्वतः स्पष्ट और युक्तिसंगत है। इसके अतिरिक्त, यह वर्तमान मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं और 1956 के अधिनियम और 2013 के अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने के बाद पारित किया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त निर्णय चार वर्षों के सविशेषपूर्ण न्यायनिर्णयन के बाद पारित किया गया है। दिनांक 22.10.2014 के विवादित निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दोहराया गया है:

“5.1. दूसरी ओर, प्रतिवादी/अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने बताया है कि वर्तमान आरोपित स्थानांतरण अंततः 2008 का है जबकि याचिकाकर्ता ने पहली बार बिक्री के संबंध में अप्रैल 2010 में ही शिकायत दर्ज कराई थी और वर्तमान याचिका सितंबर, 2010 में ही दायर की थी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता के इस विवादित तर्क के बावजूद कि आरोपित स्थानांतरण प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता प्रतिवादी संख्या 6 ने की थी जबकि उक्त प्रतिवादी उक्त तिथि को प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी में निदेशक भी नहीं था, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह दलील

दी है कि उक्त आरोप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111(4) के तहत कार्रवाई का कोई वैध/प्रासंगिक कारण नहीं पैदा करता है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान कार्यवाही/कंपनी याचिका में गुण-दोष के आधार पर जिस विवाद का निर्णय किया जाना है, उसके लिए अत्यधिक/गंभीर रूप से विवादित तथ्यों के प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता है और इसलिए, इस मामले को निर्णय के लिए सिविल न्यायालय भेजा जा सकता है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं/अनावेदकों के अधिवक्ता ने बताया कि शेयरों के हस्तांतरण को विविध आधारों पर चुनौती दी गई है और यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता याचिका में उल्लिखित किसी एक आधार पर विफल रहे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे इस माननीय न्यायालय के समक्ष अन्य आधारों पर भी विफल रहेंगे। इसके अलावा, यह भी रेखांकित किया गया है कि कंपनी याचिका के पैराग्राफ 3(बी) और (डी) की विषयवस्तु दो अलग-अलग घटनाओं से संबंधित है। इसके अलावा, कथित पारिवारिक समझौते के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि प्रबंधन परिवर्तन की कोशिश फरवरी, 2008 तक जारी रही और केवल वर्ष 2008 में ही प्रतिवादियों द्वारा हस्ताक्षरित रिक्त हस्तांतरण विलेख और शेयर प्रमाणपत्र वापस ले लिए गए।

5.2. याचिकाकर्ता/गैर-आवेदक के अधिवक्ता ने बताया है कि वर्तमान आवेदन में स्थिरता के संबंध में चुनौती विशुद्ध रूप से विधि का प्रश्न है और प्रतिवादी के अधिवक्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं की ओर से सहमति है, दूर की कौड़ी है, क्योंकि सहमति तभी होती है जब याचिकाकर्ता की ओर से सहमति हो, जो स्पष्ट और बिना किसी संदेह के होनी चाहिए। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने “चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम मेसर्स पोन्नियम्मन एजुकेशन ट्रस्ट” के मामले से निपटते समय स्पष्ट रूप से माना है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन का फैसला करने के उद्देश्य से, शिकायत में कथन प्रासंगिक हैं, लिखित बयान में प्रतिवादियों द्वारा की गई दलीलें इस स्तर पर पूरी तरह से अप्रासंगिक होंगी और इसलिए, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर विचार करने के लिए, अदालत को शिकायत में कथनों पर गौर करना होगा और लिखित बयान में कथन महत्वहीन हैं और यह अदालत का कर्तव्य है कि वह शिकायत में कथनों की जांच करे।

5.3. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत, यह देखा गया है कि प्रतिवादी/आवेदक के अधिवक्ता ने कंपनी की याचिका को विलंब और विलंब, तथ्यों को छिपाने और मौन स्वीकृति के आधार पर चुनौती दी है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता/अआवेदक के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की ओर से तथ्यों को छिपाने या मौन स्वीकृति का कोई मामला नहीं है। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि शेयरों के कथित हस्तांतरण को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है और यदि याचिकाकर्ता किसी एक आधार पर असफल होते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि याचिका अन्य आधारों पर भी असफल हो जाती है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि इसमें कानून और तथ्यों का प्रश्न शामिल है। चूंकि मामले के तथ्यों को लेकर विवाद है, इसलिए दलीलों के भाग के रूप में उपलब्ध विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर गहन विवेकपूर्ण जाँच आवश्यक है। इसके मद्देनजर, यह अत्यंत अनुचित होगा यदि कंपनी की याचिका को अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों के आधार पर गुण-दोषों पर विचार किए बिना ही शुरू में ही खारिज कर दिया जाए। इस प्रकार, न्याय के हित में,

वर्तमान कंपनी आवेदन में कंपनी याचिका को शुरू में ही खारिज करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।”

18.4. इसलिए, यह न्यायालय यह नोट करना समीचीन समझता है कि आरोपित आदेश में कोई अनियमितता नहीं है क्योंकि इसे प्रासंगिक प्रावधानों और तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पारित किया गया है। इसलिए, 2013 के अधिनियम, यानी धारा 424, 430 और 434 (सी) के प्रासंगिक प्रावधानों पर भरोसा किया जाता है। उक्त प्रावधानों के एक मात्र अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण अपने कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से, नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार एक सिविल न्यायालय के रूप में शक्तियों का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा, 2013 के अधिनियम की धारा 430 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही को स्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा, जिसे न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण को इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित करने का अधिकार है। उक्त प्रावधान नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“ 424. न्यायाधिकरण और अपील न्यायाधिकरण के समक्ष प्रक्रिया - (1) न्यायाधिकरण और अपील न्यायाधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाही या, यथास्थिति, अपने समक्ष किसी अपील का निपटारा करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होंगे, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे, और इस अधिनियम [या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016] के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, न्यायाधिकरण और अपील न्यायाधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

2. न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को इस अधिनियम [या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016] के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:

- (क) किसी व्यक्ति को समन भेजकर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति प्राप्त करना;
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;
- (च) किसी अभ्यावेदन को व्यतिक्रम के कारण खारिज करना या उस पर एकपक्षीय निर्णय देना;

(छ) किसी अभ्यावेदन को व्यतिक्रम के कारण खारिज करने के किसी आदेश या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना; और
(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जा सके।

(3) न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया कोई आदेश उस न्यायाधिकरण द्वारा उसी प्रकार प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो वह उसके अधीन लंबित किसी वाद में न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो, और न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह अपने आदेशों को उस न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर-

(क) किसी कंपनी के विरुद्ध आदेश की स्थिति में, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है; या
(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश के मामले में, संबंधित व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।

(4) न्यायाधिकरण या अपील न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और न्यायाधिकरण तथा अपील न्यायाधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझे जाएंगे।

430. सिविल न्यायालय को अधिकारिता न होना- किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने का अधिकारिता नहीं होगी, जिसे अधिकरण या अपील अधिकरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकरण या अपील अधिकरण द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

434(सी). कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत सभी कार्यवाहियां, जिनमें मध्यस्थता समझौता, व्यवस्था और कंपनियों के पुनर्निर्माण और समापन से संबंधित कार्यवाहियां शामिल हैं, जो ऐसी तारीख से तुरंत पहले किसी जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में लंबित हैं, न्यायाधिकरण को हस्तांतरित हो जाएंगी और न्यायाधिकरण ऐसी कार्यवाहियों को उनके हस्तांतरण से पहले के चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ सकता है।”

18.5 इसके अलावा, शशि प्रकाश खेमका (सुप्रा) में दिए गए अनुपात पर भरोसा किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुपात से प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“6. इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि आज कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दीवानी मुकदमे का उपाय पूरी तरह से वर्जित होगा और उक्त अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को यह अधिकार प्राप्त होगा। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि वर्तमान मामले में, वाद-कारण इस अधिनियम के लागू होने से पहले के चरण में उत्पन्न हुआ है। हालाँकि, हमारा विचार है कि पक्षकारों को अब दीवानी मुकदमे में भेजना उचित उपाय नहीं होगा, विशेष रूप से यह देखते हुए कि अधिनियम की धारा 430 का शब्दांकन किस प्रकार व्यापक रूप से किया गया है।”

18.6. इसके अलावा, चलसानी उदय शंकर एवं अन्य बनाम लेक्सस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, जो सिविल अपील संख्या **5735-5736/2023** के रूप में पंजीकृत है, में प्रतिपादित उक्ति पर भी भरोसा किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुपात से प्रासंगिक उद्धरण नीचे दोहराया गया है:

“28. शशि प्रकाश खेमका (मृत) के कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य बनाम एनईपीसी एमआईसीओएन (अब एनईपीसी इंडिया लिमिटेड) और अन्य (2019) 18 एससीसी 569 में, इस न्यायालय को फिर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111-ए के तहत शक्ति के प्रयोग पर विचार करने का अवसर मिला। कंपनी लॉ बोर्ड के विचार को मद्रास उच्च न्यायालय ने अपील में उलट दिया था, जिससे अपीलकर्ताओं को शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में उठाए गए मुद्दे के संबंध में एक दीवानी मुकदमे के उपाय पर निर्भर रहना पड़ा। इस न्यायालय ने अमोनिया सप्लाईज कॉर्पोरेशन (प्रा.) लिमिटेड (सुप्रा) में पहले के फैसले पर ध्यान दिया, लेकिन यह भी कहा कि **2013** के अधिनियम की धारा **430** दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकती है और यह राय दी कि इसका प्रभाव यह है कि जिन मामलों के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को शक्ति प्रदान की गई है, उनमें दीवानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से वर्जित है। इस न्यायालय ने कहा कि यह विवाद का विषय नहीं है कि, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है आज, सिविल मुकदमे का उपाय पूरी तरह से वर्जित होगा और यह शक्ति कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **59** के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में निहित होगी। यह देखते हुए कि उस मामले में कार्रवाई का कारण **2013** के अधिनियम के अधिनियमन से पहले एक चरण में उत्पन्न हुआ था, इस न्यायालय का मानना था कि सिविल मुकदमे में पक्षों को फिर से शामिल करना उचित उपाय नहीं होगा, जिस तरह से **2013** के अधिनियम की धारा **430** को व्यापक रूप से शब्दबद्ध किया गया था।

29. शशि प्रकाश केमका (सुप्रा) के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा स्मिति गोल्यान एवं अन्य बनाम नुलोन इंडिया लिमिटेड एवं अन्य मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया, जिसके द्वारा, सुधार कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ के निर्णय को, पक्षकारों को सिविल न्यायालय में स्थानांतरित किए बिना, बरकरार रखा गया। स्मिति गोल्यान (सुप्रा) के विरुद्ध इस न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 4639/2019 को 03.07.2019 को खारिज कर दिया गया और इस न्यायालय ने पाया कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पूर्णतः उचित थे और उनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता था।

18.7. इस प्रकार, 2013 के अधिनियम के लागू होने और उपर्युक्त अनुपातों में उल्लिखित उक्ति के बाद, इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान सीएलबी के समक्ष याचिका के क्षेत्राधिकार और विचारणीयता के संबंध में दिए गए कथनों का कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, उक्त मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शशि प्रकाश खेमका (सुप्रा) मामले में पहले ही सुलझा लिया गया है, इसलिए, अब यह विचारणीय नहीं है।

18.8. इसके साथ ही, अपीलकर्ताओं, अर्थात् **आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रा)** और **गिरीश कुमार सांघी (सुप्रा)** की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णय, इस संपूर्ण मामले पर लागू नहीं होते, क्योंकि यह स्पष्ट तथ्य है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद, पूर्ववर्ती कानून की प्रयोज्यता वर्जित हो जाएगी। इसके अलावा, उपर्युक्त निर्णय स्पष्ट तथ्यात्मक विवरण और कानून के मुद्दे पर आधारित हैं।

19. तात्कालिक मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के सारांश में, और अब तक की गई समग्र टिप्पणियों पर विचार करते हुए; विशेष रूप से 2013 के अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों यानी धारा 424, 430, और 434 (सी) और **शशि प्रकाश खेमका (सुप्रा)** में निहित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस राय का है कि विवादित निर्णय में की गई टिप्पणियां किसी भी स्पष्ट त्रुटि और मनमानी से रहित हैं; इसके अलावा, एक बार जब प्राथमिक कानून द्वारा न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण को शक्तियां प्रदान की जाती हैं, तो उन्हें सिविल कोर्ट में नहीं भेजा जा सकता है।

20. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान अपील में कोई दम नहीं होने के कारण, 2,00,000/- रुपये (मात्र दो लाख रुपये) की लागत के साथ खारिज की जाती है। यह लागत इस आदेश के पारित होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, गैर-अपीलकर्ताओं के बैंक खाते में जमा की जानी है। यह लागत अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाई गई अनुचित विलंबकारी रणनीति को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है; यह तथ्य कि उक्त मामले को पहले मध्यस्थता कार्यवाही के लिए भेजा गया था, जिसमें 2013 के अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी की गई और कानून की स्थापित स्थिति को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। हालाँकि, उक्त मध्यस्थता कार्यवाही से कोई लाभकारी निष्कर्ष नहीं निकला, बल्कि अनावश्यक विलंब हुआ।

21. तदनुसार, यह याचिका उपर्युक्त लागत के साथ खारिज की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा।

(समीर जैन), जे

अनिल शर्मा/1

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम

नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate